



प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में रू0 490.62 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बीएस-1247/बजट दिनांक 16.01.2023, पत्र संख्या-बीएस-256/बजट दिनांक 23.01.2023 तथा पत्र संख्या-बीएस-275/बजट दिनांक 03.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्षक 2058 (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में संलग्न पुनर्विनियोग (बी0एम0-9) प्रपत्र के अनुसार कुल धनराशि रुपया- 4,90,62,000/- (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख बासठ हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था विभागीय बचतों से निम्नलिखित नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- उक्त अतिरिक्त धनराशि जिस मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसी मद पर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अन्य प्रयोजनों/मदों में व्यय नहीं किया जायेगा एवं वितरण आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा उनमें वर्णित प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

4- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2058000010300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
2	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	49 चिकित्सा व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
	कुल			15,25,000 (रुपये पंद्रह लाख पच्चीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2058001030300 (राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	02 मजदूरी	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
2	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	008	2058001030300 राजकीय मुद्रणालय , प्रयागराज	49 चिकित्सा व्यय	42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र)
	कुल			52,00,000 (रुपये बावन लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	008	2058001030400 राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ	02 मजदूरी	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
2	008	2058001030400 राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	008	2058001030400 राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	008	2058001030400 राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ	29 अनुरक्षण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	008	2058001030400 राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
6	008	2058001030400 राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			47,00,000 (रुपये सैंतालीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
--	---------------	-------------	---------	-------------------

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	01 वेतन	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	02 मजदूरी	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
5	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	008	2058001030600 राजकीय मुद्रणालय , रामपुर	49 चिकित्सा व्यय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			54,90,000 (रुपये चौवन लाख नव्वे हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	008	2058001030700 राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी	02 मजदूरी	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	008	2058001030700 राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी	03 मंहगाई भत्ता	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
3	008	2058001030700 राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
4	008	2058001030700 राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी	13 टेलीफोन पर व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
5	008	2058001030700 राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	008	2058001030700 राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी	49 चिकित्सा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
	कुल			41,47,000 (रुपये इकतालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2058001040300 (अन्य साधनों से छपाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	008	2058001040300 अन्य साधनों से छपाई	42 अन्य व्यय	2,80,00,000 (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)
	कुल			2,80,00,000 (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)
महायोग		4,90,62,000 (रुपये चार करोड़ नव्वे लाख बासठ हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : RE-budget-1-584-E-6-252-X-2022-23-
दिनांक : 22-03-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,

(अनीता चौधरी)

अनु सचिव ।

संख्या-1/2023/001-150(I)/77-2-2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रयागराज।
- 5- संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ/रामपुर/वाराणसी ।
- 6- कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ/रामपुर/वाराणसी ।
- 7- लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ/रामपुर/वाराणसी ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10- अनुसचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)

अनु सचिव ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैन्युअल का प्रस्तर- 158)
A077-20222023-850

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	01 (वेतन)	40,00,00,000 रुपये चालीस करोड़ मात्र	53,42,000 रुपये तिरपन लाख बयालीस हजार मात्र	53,42,000 रुपये तिरपन लाख बयालीस हजार मात्र	41,97,000 रुपये इकतालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र	39,58,03,000 रुपये उनतालीस करोड़ अठ्ठावन लाख तीन हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030300 (राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज)	01 (वेतन)	60,00,00,000 रुपये साठ करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,68,40,000 रुपये तीन करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार मात्र	56,31,60,000 रुपये छप्पन करोड़ इकतीस लाख साठ हजार मात्र	2022-2023
008	2058000010300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))	01 (वेतन)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	1,15,00,000 रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख मात्र	1,15,00,000 रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख मात्र	80,25,000 रुपये अस्सी लाख पच्चीस हजार मात्र	9,19,75,000 रुपये नौ करोड़ उन्नीस लाख पचहत्तर हजार मात्र	2022-2023
कुल				₹ 5,68,42,000		₹ 4,90,62,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
008	2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)	49 (चिकित्सा व्यय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	15,000 रुपये पंद्रह हजार मात्र	7,000 रुपये सात हजार मात्र	7,000 रुपये सात हजार मात्र	22,000 रुपये बाईस हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)	08 (कार्यालय व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	2022-2023

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
008	2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,35,00,000 रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030700 (राजकीय मुद्रणालय ,वाराणसी)	02 (मजदूरी)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	40,000 रुपये चालीस हजार मात्र	2,40,000 रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	49 (चिकित्सा व्यय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	5,50,000 रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र	20,50,000 रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	29 (अनुरक्षण)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र	60,000 रुपये साठ हजार मात्र	40,000 रुपये चालीस हजार मात्र	1,15,000 रुपये एक लाख पंद्रह हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	08 (कार्यालय व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	02 (मजदूरी)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030600 (राजकीय मुद्रणालय ,रामपुर)	01 (वेतन)	4,75,00,000 रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	5,15,00,000 रुपये पांच करोड़ पंद्रह लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	49 (चिकित्सा व्यय)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	48,00,000 रुपये अड़तालीस लाख मात्र	2022-2023

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	29 (अनुरक्षण)	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	49,00,000 रुपये उनचास लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	2022-2023
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	08 (कार्यालय व्यय)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030400 (राजकीय मुद्रणालय ,लखनऊ)	02 (मजदूरी)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030300 (राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज)	49 (चिकित्सा व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	42,00,000 रुपये बयालीस लाख मात्र	82,00,000 रुपये बयासी लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030300 (राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज)	08 (कार्यालय व्यय)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	33,00,000 रुपये तैंतीस लाख मात्र	2022-2023
008	2058001030300 (राजकीय मुद्रणालय ,प्रयागराज)	02 (मजदूरी)	32,00,000 रुपये बत्तीस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	39,00,000 रुपये उनतालीस लाख मात्र	2022-2023
008	2058001040300 (अन्य साधनों से छपाई)	42 (अन्य व्यय)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	3,13,00,000 रुपये तीन करोड़ तेरह लाख मात्र	2,80,00,000 रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र	3,30,00,000 रुपये तीन करोड़ तीस लाख मात्र	2022-2023
008	2058000010300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))	49 (चिकित्सा व्यय)	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	34,00,000 रुपये चौंतीस लाख मात्र	2022-2023
008	2058000010300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))	29 (अनुरक्षण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	2022-2023
008	2058000010300 (अधिष्ठान (मुख्यालय))	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र	2022-2023

कुल

₹ 5,68,42,000

₹ 4,90,62,000

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1- उक्त धनराशि जिस मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसी मद पर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अन्य प्रयोजनों/मदों में व्यय नहीं किया जायेगा एवं वितरण आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा निर्गत शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

संख्या : RE-budget-1-584-E-6-252-X-2022-23-दिनांक : 22-03-2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

अनीता चौधरी
अनु सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

कुलदीप बाबू
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या : 150(2) / 77-2-2023 दिनांक- 24 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 6- नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
- 7- लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी एवं रामपुर।
- 8- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी एवं रामपुर।
- 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 11- गार्ड फाइल।

अनीता चौधरी
अनु सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।